IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले कारकः एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ0 चन्द्रवीर प्रसाद यादव
अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग,
एस. एम. आर. सी. के. कालेज, समस्तीपुर,
ल. ना. मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा, (बिहार)

परिचय

प्रस्तुत आलेख में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु किस प्रकार का सहयोग एवं प्रोत्साहन मिला है, उसका अध्ययन किया गया है। सहयोग एवं प्रोत्साहन से स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित मूल्यों में परिवर्तन स्पष्ट होता है। अतः शिक्षा प्राप्ति में उत्तरदात्रियों को सहयोग प्रदान करने वाले व्यक्ति तथा सहायता के प्रकार के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित करके उसका विश्लेषण इस आलेख में प्रस्तुत किया गया है।

शिक्षा किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपागम होती है। वस्तुतः किसी भी वर्ग, समुदाय, समाज अथवा राष्ट्र के विकास की सबसे पहली सीढ़ी शिक्षा ही होती है। प्रत्येक समाज की संरचना स्त्री तथा पुरूषों के सामूहिक दायित्वों पर आधारित होती है, किन्तु जब हम शिक्षा एवं स्त्री के अन्तर्सम्बन्धों पर दृष्टिपात करते हैं, तो सामूहिक दायित्व के समान अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में स्त्री सबसे निचले पायदान पर खड़ी दिखाई देती है। यदि आज महिलाएँ, दमित, शोषित एवं वंचित दिखाई देती हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण स्त्रियों की शिक्षा के प्रति समाज की उदासीनता है। यद्यपि सन 1950 में भारत में स्त्री साक्षरता की दर मात्र 18.33 प्रतिशत थी, जो सन 2011 में बढ़कर 50 फीसदी से अधिक हो गई है लेकिन यह आंकड़ा भी हमें उत्साहित नहीं करता क्योंकि अभी भी यह दर पुरूषों की तुलना में काफी कम है।

यदि स्त्री शिक्षा के प्रति उनके माता–पिता जागरूक नहीं हैं, तो फिर महिला विकास एवं स्त्री शिक्षा की बात करने का कोई औचित्य नहीं है। यह दुखद सत्य है कि महिलाएँ ही अपने परिवारों की बालिकाओं की शिक्षा–दीक्षा में सबसे बड़ी रोड़ा बनती हैं। वे परिवार के पुरूषों से अक्सर यह कहती मिल जाएंगी कि लड़की को ज्यादा पढ़ा लिखाकर करना क्या है? आखिर इसे जाना तो पराए घर ही है। इसलिए इसे घर

का कामकाज सीखना चाहिए। यह मानसिकता ही स्त्री शिक्षा की दिशा में सबसे बड़ा अवरोधक है। किसी भी देश का सर्वांगीण विकास तभी सम्भव है, जब उस देश की पूरी आबादी शिक्षित, जागरूक एवं सचेत हो। हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने देश की आधी आबादी को अशिक्षित एवं बेकार बनाए रखकर कभी भी देश का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते।

सबसे पहला सवाल यह है कि स्त्रियों के लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाए! स्त्रियों को जागरूक बनाने हेतु आवश्यक है कि स्त्री शिक्षा को दो भागों में वर्गीकृत किया जाए– प्रारम्भिक साक्षरता और कार्यात्मक साक्षरता। प्रारम्भिक साक्षरता कक्षा 10 तक है, जिसे सभी स्त्री, पुरूषों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए।इसके बाद कार्यात्मक अथवा प्रयोजनमूलक शिक्षा आती है, जिसके लिए सरकारी प्रोत्साहन एवं मुफ्त शिक्षण जैसे कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। तभी महिलाएँ आत्मनिर्भर बनकर राष्ट्र के समग्र विकास में अपना योगदान दे सकती हैं तथा एक आदर्श नागरिक के रूप में देश की उन्नति का संवाहक बन सकती हैं।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था के इतिहास में स्त्रियों की स्थिति एक लम्बे समय से विवाद का विषय रही है। स्त्रियों की स्थिति से सम्बनिधत विवाद का कारण यह नहीं है कि हम जैविकीय अथवा मानसिक रूप से उन्हें दोषपूर्ण मानते है, बल्कि इसका प्रमुख कारण हमारी संकीर्ण विचारधारा ही है। वैसे हमारी मौलिक सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को सुख, सम्पत्ति, ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि वैदिक एवं उत्तरवैदिक काल के पश्चात् हमारे समाज की मौलिक व्यवस्थाएँ रूढ़ियों के रूप में परिवर्तित होने लगी और स्त्रियों में लज्जा, ममता और स्नेह के गुणों को उनकी दुर्बलता समझकर पुरूर्षों ने उनका मनमाना शोषण करना आरम्भ किया। मनु स्मृति में यहां तक कह दिया गया कि स्त्री कभी भी स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है। अविवाहित होने पर पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्र ही उसका संरक्षक है।

राजपूत काल (500 ई0 से 1200 ई0 तक) में महिलाओं की स्थिति में काफी हास हुआ। उल्टे कर (1962:3555) ने लिखा है कि कम आयु में विवाह के कारण शिक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता था। साथ ही लड़कियों को विवाह निर्धारण के सम्बन्ध में कोई भी विचार प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था। मध्य काल में रक्त की पवित्रता को इतना संकीर्ण रूप दे दिया गया कि लड़कियों की विवाह 5–6 वर्ष में ही किया जाने लगा। स्त्रियों को शिक्षा से बिल्कुल बंचित रखा गया। 19 वीं शताब्दी से पूर्व तक स्त्री–शिक्षा से सम्बन्धित न तो नियमित व्यवस्था थी और न ही इसके आवश्यकता महसूस की गई। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि समाज सुधारकों एवं ब्रिटिश सरकार ने स्त्री–शिक्षा के विकास में सकारात्मक प्रयास किये। स्वामी दयानन्द सरस्वती, पं0 ईश्वरचन्द्र विद्यासागर तथा पी0सी0 बनर्जी आदि इनमें प्रमुख रहें। 19 वीं शताब्दी में महिलाओं के लिए अनेक शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई तथा इस शताब्दी

के अन्त तक भारत में शिक्षित स्त्रियों की संख्या में वृद्धि होने लगी। मजुमदार–(1965–284) स्त्री शिक्षा के विकास का प्रभाव मुख्य रूप परिवार, विवाह एवं स्त्रियों की स्वतंत्रता पर पड़ा। इन परिवर्तनों ने समाज को प्रभावित किया।

स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा, औद्योगिकरण आधुनिकीकरण, नवीन विचारधाराके कारण स्त्रियों की पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता लगातार कम होती जा रही है। स्वतंत्रता के पश्चात् मध्यम वर्ग की स्त्रियों ने बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा प्राप्त करके आर्थिक क्षेत्रों में प्रवेश करना प्रारम्भ कर दिया। आज शिक्षा, स्वास्थ्य–चिकित्सा, समाजकल्याण, मनोरंजन, उधोगों और कार्यालयों में स्त्री कर्मचारियों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।

व्याख्या

स्त्री शिक्षा में हो रहे विकास को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि समाज के घटकों को देर से ही इस दिशा में निश्चय ही स्त्रियों को प्रोत्साहित किया है। इस अध्ययन में चुने गये दो सौ उत्तरदात्रियों से शिक्षा प्राप्ति में प्रोत्साहित करने वाले करकों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित किये गये जिनका विश्लेषण निम्न रूप में किया जा रहा है :–

तालिका संख्या–1

सूचनादात्रियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने में सहायक

Ø0सं0	सहायक व्यक्ति	उत्तरदात्रियों की शैक्षणिक स्थिति माध्यमिक	स्नातक	स्नातकोत्तर	उच्च शिक्षा	योग
1.	माता–पिता	53	39	17	01	110
2.	अभिभावक	10	08	06	–	24
3.	पति	15	14	20	01	50
4.	सम्बन्धी	5	2	02	–	09
5.	समाजसेवी	3	2	02	–	07
6.	अन्य	–	–	–	–	–
कुल योग –		86	65	47	02	200

तालिका 1 से पता चलता है कि माध्यमिक स्तर के अधिकांश 53 सूचनादात्री सूचनादात्री शिक्षा प्राप्त करने में माता–पिता को सहायक मानती है। जबकि माध्यमिक स्तर 15 सूचनादात्री पति को शिक्षा प्राप्त करने में सहायक मानती है। साथ ही 10 सूचनादात्री अभिभावक को शिक्षा प्राप्त करने में सहायक मानती है

और 5 सूचनादात्री सम्बन्धी को भी शिक्षा प्राप्त करने में सहायक मानती है जबकि 3 सूचनादात्री समाजसेवी को भी शिक्षा प्राप्त करने में सहायक मानती है।

उपर्युक्त तालिका से यह भी पता चलता है कि स्नातक स्तर के 39 सचूनादात्री शिक्षा प्राप्त करने में माता–पिता को सहायक मानती है जबकि 8 सूचनादात्री ने यह बतायी कि उनके पढ़ाई में अभिभावक द्वारा सहायता मिलता है 14 सूचनादात्री शिक्षा प्राप्त करने में अपने पति को सहायक माना है जबकि 2 सूचनादात्री ने बतायी कि सम्बन्धी भी उनके शिक्षण कार्यो में सहयोग प्रदान किया है तथा 2 सूचनादात्री ने बताया कि समाजसेवी भी उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने में सहायक सिद्व हुए है।

तालिका संख्या– 1 से यह भी स्पष्ट होता है कि स्नातकोत्तर के अधिकांश 17 सूचनादात्री यह महसूस करती है कि शिक्षा प्राप्त करने में माता–पिता सहायक है जबकि 6 सूचनादात्री ने बताया कि स्नातकोत्तर स्तर में अभिभावक भी शिक्षा प्राप्त करनें में सहायक है। साथ ही स्नातकोत्तर स्तर के 20 सूचनादात्री पति को शिक्षा प्राप्त करने में सहायक माना है तथा 2 सूचनादात्री अपने सम्बन्धी को भी शिक्षा प्राप्त करने में सहायक माना है जबकि 2 सूचनादात्री समाज सेवी को भी शिक्षा प्राप्त करने में सहायक माना है।

अध्ययन के दौरान 01 सूचनादात्री ने बताया कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उनके माता–पिता सहायक है, जबकि 01 सूचनादात्री ने बताया कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में पति सहायक हुये है।

उपरोक्त तालिका से यह भी ज्ञात होता है कि उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में किसी भी सूचनादात्री ने यह स्वीकार नहीं किया है। कि समाजसेवी अथवा सम्बन्धी भी उनको मदद की हो।

तालिका संख्या–2

शिक्षण Øe esa lgk;rk dh izd`fr Øम

Ø0सं0	सहायता की प्रकृति	उत्तरदात्रियों की शैक्षणिक स्तर माध्यमिक	स्नातक	स्नातकोत्तर	उच्च शिक्षा	योग
1.	आर्थिक सहायता प्रदान कर,	36	25	19	01	81
2.	पढ़ा कर	36	30	17	–	83
3.	मनोबल बढ़ाकर	09	07	09	01	26
4.	अवकाश प्रदानकर	05	03	02	–	10
5.	अन्य	–	–	–	–	–
कुल योग –		86	65	47	02	200

अध्ययन के दौरान सूचनादात्रियों से एक प्रश्न यह भी पूछा गया है कि शिक्षा क्रम में सहायता की प्रकृति कैसी थी। तालिका संख्या– 2 से स्पष्ट होता है कि 36 सूचनादात्रियों को माध्यमिक स्तर के शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में आर्थिक सहायता प्रदान किया गया , जबकि 36 सूचनादात्रियों ने बताया कि पढ़ा–लिखाकर माध्यमिक शिक्षा के क्रम में उन्हें सहायता दिया गया। साथ ही 09 सूचनादात्री ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में मनोबल बढ़ाकर उन्हें सहायता प्रदान किया गया तथा 5 सूचनादात्री को अवकाश प्रदान कर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने में सहायता की गई।

तालिका संख्या – 2 से पता चलता है कि 25 सूचनादात्रियों को स्नातक स्तर के शिक्षा प्राप्त करने के क्रम में आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जबकि 30 सूचनादात्री ने बताया कि स्नातक स्तर के पढ़ाई में उन्हें पढ़ाकर ही सहायता की गई। साथ ही 7 सूचनादात्री ने साक्षात्कार के दौरान बतायी कि उन्हें मनोबल बढ़ाकर ही सहायता प्रदान किया गया तथा साक्षात्कार के दौरान ही 3 सूचनादात्री ने बताया कि अवकाश प्रदान कर उन्हें सहायता की गई।

उपरोक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि स्नातकोत्तर स्तर के 19 सूचनादात्री ने बताया कि उन्हें शिक्षा के क्रम में आर्थिक सहायता प्रदान कर मदद की गई जबकि 17 सूचनादात्री को पढ़ाकर ही सहायता प्रदान किया गया।

तालिका संख्या–2 से यह भी पता चलता है कि 01 सूचनादात्रियों को स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई के क्रम में मनोबल बढ़ाकर सहायता प्रदान की गई, जबकि 02 सूचनादात्री ने यह भी बताया कि अवकाश प्रदान कर सहायता प्रदान की गई।

अध्ययन के क्रम में 01 सूचनादात्री ने बताया कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की गई। साथ ही 01 सूचनादात्री को पढ़ाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान की गई।

तालिका संख्या –3

स्त्री शिक्षाको प्रोत्साहित करने के उपाय

Ø0सं0	प्रोत्साहन के उपाय	माध्यमिक स्तर	स्नातक	स्नातकोत्तर	उच्च शिक्षा	योग	प्रतिशत
1.	स्वतंत्रता प्रदानकर	27	21	10	–	58	29 %
2.	आत्म विश्वास जगाकर	22	19	15	01	57	28.5%
3.	शिक्षण संस्थाओं द्वारा	20	13	07	–	40	20%
4.	प्राचीन मान्यताओं को तोड़कर–	11	07	09	01	28	14%
5.	सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदानकर	06	05	06	–	17	8.5%
कुल योग–		86	65	47	02	200	100.0

अध्ययन के के दौरान सूचनादात्रियों से एक प्रश्न यह भी पूछा गया, कि स्त्री शिक्षा की प्रोत्साहित करने के उपाय क्या है ? तालिक संख्या – 3 से स्पष्ट होता है कि 27 सूचनादात्रियों ने बताया कि स्वतंत्रता प्रदान कर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जबकि 22 सूचनादात्रियों ने बताया कि माध्यमिक स्तर की शिक्षा को आत्म विश्वास जगाकर प्रोत्साहित करना चाहिए तथा 20 सूचनादात्री ने शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उपाय का सुझाव बताया। अध्ययन के क्रम में 11 सूचनादात्री ने प्राचीन मान्यताओं को तोड़कर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया तथा 06 सूचनादात्री ने ने सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान कर स्त्री को प्रोत्साहित करने पर बल दिया।

तालिका संख्या– 3 से यह भी पता चलता है कि स्नातक स्तर के शिक्षा के सम्बन्ध में 21 सूचनादात्री ने बताया कि स्वतंत्रता प्रदान कर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जबकि 19 सूचनादात्रियों ने बताया कि आत्म विश्वास जगाकर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही 13

सूचनादात्री ने शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल दी, और 07 सूचनादात्री ने अपना मत स्पष्ट करते हुए बतायी कि प्राचीन मान्यताओं को तोड़कर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिये। 5 सूचनादात्रियों ने बतायी कि स्नातक स्तर तक की शिक्षा को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अध्ययन के दौरान 10 सूचनादात्री ने स्वतंत्रता प्रदान कर स्नातकोत्तर स्तर की स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल दिया जबकि 15 सूचनादात्री ने अपना मत व्यक्त किया कि आत्म विश्वास को बढ़ाकर स्त्रीशिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिये। साथ ही 7 और 9 सूचनादात्रियों ने शिक्षण संस्थाओं द्वारा एवं प्राचीन मान्यताओं को तोड़कर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उपाय पर बल दिया तथा 06 सूचनादात्री ने सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान कर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है।

उपरोक्त तालिका से यह भी पता चलता है कि 01 सूचनादात्री ने आत्म विश्वास जगाकर उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल दिया और 01 सूचनादात्री ने प्राचीन मान्यताओं को तोड़कर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर बल दिया है।

तालिका संख्या –4

क्या सरकार से आपको सहयोग प्राप्त हुआ है ?

Ø0सं0	अभिमत	माध्यमिक	स्नातक	स्नातकोत्तर	उच्च शिक्षा	योग	प्रतिशत
1.	हाँ	36	34	19	–	89	5%
2.	नहीं	50	31	28	02	111	55.5%
कुल योग–		86	65	47	02	200	100.0

अध्ययन के दौरान सूचनादात्रियों से एक प्रश्न यह भी पूछा गया कि क्या सरकार से आपको सहयोग प्राप्त हुआ है ? तालिका संख्या 4 से स्पष्ट होता है कि 36 सूचनादात्रियों ने स्वीकार की है, कि उनको सरकार के द्वारा माध्यमिक स्तर पर सहायता प्राप्त हुआ है जबकि 50 सूचनादात्री ने बताया है कि उनको सरकार के द्वारा सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है।

तालिका संख्या–4 से यह भी पता चलता है कि 34 सूचनादात्रियों ने बताया कि स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें सरकार की ओर से सहयोग प्राप्त हुआ है, जबकि 31 सूचनादात्रियों ने बताया कि उन्हें सरकार की ओर से शिक्षा प्राप्त करने में कोई सहायता या सहयोग प्राप्त नहीं हुआ ।

अध्ययन के दौरान 19 सूचनादात्री ने बताया कि स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा प्राप्त करने में उन्हे सरकार की ओर से सहयोग प्राप्त हुआ तथा 28 सूचनादात्री ने बताया कि उन्हें सरकार की ओर से कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है।

उपर्युक्त तालिका से यह भी ज्ञात होता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी सूचनादात्री ने यह स्वीकार नहीं किया , कि उन्हें सरकार सहयोग करती है, जबकि 2 सूचनादात्री ने बताया कि सरकार उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग नहीं करती है।

तालिका संख्या–5

सरकार द्वारा सत्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले कारक

क्र0	कारक	माध्यमिक	स्नातक	स्नातकोत्तर	उच्च शिक्षा	कुल	प्रतिशत
1.	कानून बनाकर	10	23	07	01	41	20.5
2.	निःशुल्क शिक्षण संस्थानों के निर्माणकर	29	10	11	—	50	25.0
3.	छात्रवृत्ति प्रदान कर	47	32	29	01	109	54.5
	कुल–	86	65	47	02	200	100.0

अध्ययन के दौरान सूचनादात्रियों से एक प्रश्न यह भी पूछा गया कि सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले कारक कौन है? तालिका संख्या–5 से स्पष्ट होता है कि 10 सूचनादात्रियों ने बताया कि कानून बनाकर स्त्री शिक्षा को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, जवकि 29 सूचनादात्री ने बताया है कि सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सकता है तथा 47 सूचनादात्रियों ने बताया कि सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान कर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

तालिका संख्या–5 से यह भी पता चलता है कि स्नातक स्तर तक शिक्षित 23 सूचनादात्रियों ने बताया कि सरकार द्वारा कानून बनाकर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जवकि स्नातक स्तर

की 10 सूचनादात्री ने स्पष्ट किया है कि निःशुल्क शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कर महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तथा स्नातक स्तर के ही 32 सूचनादात्रियों ने बताया कि छात्रवृत्ति प्रदान कर सरकार स्त्री–शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही है।

उपर्युक्त तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा सूचनादात्री कानून बनाकर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने की बात कही। इस सम्बन्ध में 7 सूचनादात्री ने बताया कि सरकार शिक्षा को कानून बनाकर प्रोत्साहित कर सकती है। जबकि स्नातकोत्तर स्तर के ही 11 सूचनादात्री ने बताया कि सरकार निःशुल्क शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कर स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित कर सकती है। इसी स्तर की 29 सूचनादात्री ने स्पष्ट किया कि छात्रवृत्ति प्रदान कर सरकार स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करती है।

अध्ययन के दौरान उच्च शिक्षा की 01 सूचनादात्री ने बताया कि सरकार कानून बनाकर स्त्री शिक्षा को प्रात्साहित कर सकती है। जबकि इसी स्तर की 01 सूचनादात्री ने बताया कि छात्रवृत्ति प्रदान कर सरकार स्त्री शिक्षा की प्रोत्साहित कर रही है।

तालिका संख्या–6

उत्तरदात्रियों को शिक्षित करने में अभिभावकों का उद्येश्य

क्र0 सं0	अभिभावकों का उद्येश्य	उत्तरदात्रियों की शैक्षणिक स्थिति				
		माध्यमिक	स्नातक	स्नातकोत्तर	उच्च शिक्षा	कुल
1.	आर्थिक सुरक्षा	16	13	06	—	35
2.	सुसंस्कृत एवं अच्छा नागरिक बनाना	09	11	09	—	29
3.	समाज में उच्च प्रस्थिति प्राप्त करना,	15	22	19	02	58
4.	विवाह में सुविधा	46	19	13	—	78
	कुल योग–	86	65	47	02	200

तालिका संख्या–6 से पता चलता है कि 16 सूचनादात्रियों ने बताया कि आर्थिक सुरक्षा के उद्येश्य से उनके अभिभावक अपने बालिकाओं को माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्रदान करना चाहते है जबकि 9 सूचनादात्री ने बताया कि उनके अभिभावक सुसंस्कृत एवं अच्छी नागरिक बनने के उद्येश्य से अपनी पुत्रियों को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा को पसन्द करते हैं। साथ ही 15 सूचनादात्री ने बताया कि समाज में

उच्च प्रस्थिति प्राप्त करने के उद्येश्य से उनके अभिभावक अपनी बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं तथा 46 सूचनादात्रियों ने बताया कि विवाह में सुविधा के कारण उनके अभिभावक अपने पुत्री को मात्र माध्यमिक स्तर तक शिक्षा देना पसन्द करते हैं।

तालिका संख्या–6 से स्पष्ट होता है कि 13 सूचनादात्रियों के अनुसार अर्थिक सुरक्षा के उद्येश्य से उनके अभिभावक अपनी पुत्रियों को स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करना चाहते, जबकि 11 सूचनादात्रियों ने बताया कि उनके अभिभावक सुसंस्कृत एवं अच्छी नागरिक बनने के उद्येश्य से अपने बालिकाओं को स्तानक स्तर तक शिक्षा देना पसन्द करते हैं तथा 22 सूचनादात्री ने बताया कि समाज में उच्च परिस्थिति प्राप्त करने के उद्येश्य से उनके अभिभावक अपने पुत्री को स्नातक स्तर की शिक्षा दिलाना पसनद करते है और 19 सूचनादात्री के अभिभावक अपने पुत्री को विवाह में सुविधा के कारण मात्र स्तर तक ही शिक्षा दिलाना पसन्द करते है।

अध्ययन के दौरान प्राप्त तथ्यों से पता चलता है कि 06 सूचनादात्रियों के अनुसार उनके अभिभावक आर्थिक सुरक्षा के कारण अपनी पुत्री को स्नातकोत्तर तक ही शिक्षा दिलाना पसन्द करते हैं जबकि 9 सूचनादात्रियों ने बताया कि उनके अभिभावक सुसंस्कृत एवं अच्छा नागरिक बनने के उद्येश्य से अपनी बालिकाओं को स्नातकोत्तर स्तर तक ही शिक्षा दिलाना पसन्द करते है। साथ ही 19 सूचनादात्री ने बतायी कि उनके अभिभावक समाज में उच्च प्रस्थिति प्राप्त करने के उद्येश्य से अपनी पुत्री को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा दिलाना पसन्द करते हैं। तथा 13 सूचनादात्री के अभिभावक विवाह में सुविधा के उद्येश्य से अपनी पुत्री को स्नोतकोत्तर स्तर तक शिक्षा देना चाहते हैं।

तालिका संख्या–6 से पता चलता है कि 2 सूचनादात्री ने बताया कि समाज में उच्च प्रस्थिति प्राप्त करने के उधेश्य से उनके अभिभावक अपनी पुत्री को उच्च शिक्षा दिलाने भी पसन्द करते हैं।

निष्कर्ष

सरकार ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कार्यक्रम तथा योजनाएँ चलाई हैं, परन्तु फिर भी अपेक्षित विकास एवं सफलता हासिल नहीं हो सकी है। आज भी देश की अनेक बालिकाएँ ऐसी हैं, जो अपने पूरे जीवनकाल में स्कूल का मुँह नहीं देख पातीं। जो बालिकाएँ किसी तरह स्कूल तक पहुँच भी जाती हैं, वे आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पातीं और बहुत कम महिलाएँ कॉलेज या विश्वविद्यालय तक पहुँच पाती हैं। इसका मुख्य कारण भारतीय समाज की महिलाओं के प्रति दोयम दर्जे की मानसिकता में छिपा है क्योंकि भारतीय समाज आज भी कन्या को पराया धन मानता है और उसे बोझ समझते हुए उसके प्रति विवाह तक ही अपनी जिम्मेदारी समझता है। इसके अतिरिक्त बालिकाओं को घर के कामकाज में भी हाथ बटाना पड़ता है, जबकि बालकों पर ऐसा कोई बोझ नहीं डाला जाता।

संदर्भ सूची :

1. Sixth, Sevent and Eight five years plans (1982-97); Planning Commission, Govt. of India.
2. V. Devi, Women's and Rual Development, Mittal publication, New Delhi, 1990.
3. D.N.Rani, womens and work participation, sterling publication Bombay, 1991.
4. Report of 'Mahila Ayoug', publication Div. Govt. of India. Patiyala House, New Delhi, 1994.
5. Women's social status and participation of work; Indian council of social science Research, New Delhi, 1988.
6. मानुषी, हिन्दी मासिक, अगस्त 1911, नई दिल्ली।